संख्या– 625 / 26–ब0प्र0–2010–4(154) / 2005टीसी–2

प्रेषक,

भवनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण लखनऊः दिनांकः 27 जुलाई, 2010

विषयः– वर्ष 2010–11 में संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता से चलाई जा रही योजनाओं के सम्बन्ध में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–119 / ज0जा0वि0 / 2010–11 दिनांक 7.6.2010 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सविधान के अनुच्छेद 275(1) के विशेष केन्द्रीय सहायता से चलायी जा रही योजनाओं के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2010–11 में नक्सल प्रभावित जनपद सोनभद्र के अनुसूचित जनजाति ग्रामों में सौर ऊर्जा (स्ट्रीट लाइट) लगवाये जाने हेतु नेडा विभाग के मानक के अनुरूप रू0 0.231 लाख प्रति यूनिट की दर से कुल 421 यूनिट पर कुल व्यय रू0 97.251 लाख (रू0 सत्तानबे लाख पच्चीस हजार एक सौ मात्र) स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। यह कार्य वैकल्पिक ऊर्जा संस्थान (नेडा) से सम्पादित कराया जायेगा ।

2– उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–81 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–"4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण– आयोजनागत–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–01–केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0104–सविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण के लिए जिला इकाईयों के संचालन हेतु अनुदान–48–पूंजीगत व्यय के लिये सहायक अनुदान" के नामें डाला जायेगा ।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–3–1215 / दस–2010, दिनांक 19 जुलाई, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(भवनाथ)
विशेष सचिव।

संख्या– 625(1) / 26–ब0प्र0–2010–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2– कोषाधिकारी, जवाहर भवन / कलेक्ट्रेट, कैसरबाग, लखनऊ।
3– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3 / वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 / 2
4– निदेशक, वैकल्पिक ऊर्जा संस्थान (नेडा), उ0प्र0 लखनऊ।
5– राज्य योजना आयोग–1 / 2 / एन0आई0सी0 की प्रति ।
6– गार्डफाइल ।

आज्ञा से,

(जय शंकर सिंह)
अनु सचिव ।